राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बिट्रेटर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 09/2020 फोरलेन

उनवान

1. दिनेश कुमार पिता भंवर लाल गोखरू जाति जैन निवासी भीलवाड़ा हाल संतोकपुरा माण्डल जिला भीलवाड़ा।

–प्रार्थी

बनाम

1. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार जरिये परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा
2. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) जिला भीलवाड़ा
3. भारत संघ जरिये शासन सचिव, भारत सरकार सड़क परिवहन एवं हाईवेज, नई दिल्ली।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956

उपस्थित :– श्री दीपक श्रीमाली–अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
श्री दिनेश चन्द्र बापना–अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की ओर से।
विपक्षी संख्या 2 की ओर से विभागीय प्रतिनिधी।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.) सत्यमेव जयते

आदेश

दिनांक : 15.09.2023

प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि ग्राम संतोकपुरा, माण्डल में आराजी नम्बर 167, रकबा 2.19 बीघा स्थित होकर उक्त भूमि में से 0.17 बिस्वा (45.172x45.72 sq.mtr) पेट्रोल पम्प हेतु Rajasthan Land Revenue (allotment, Conversion and Regularization of Agricultural land for construction of cinemas and hotels and petrol pump) rules 1978 (अधिनियम, 1978) के अन्तर्गत सम्परिवर्तित हुई व जिसका आवंटन आदेश दिनांक 03.10.1987 को जारी हुआ व लीज डीड पंजीयन एवं निष्पादन 20 वर्ष हेतु दिनांक 23.11.1987 को हुई जो कि प्रार्थी को जारी उक्त लीज डीड दिनांक 23/11/2007 को नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित थी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के खण्ड गुलाबपुरा से तख्तपुरा फोरलेन निर्माण हेतु अवाप्ति में प्रार्थी की उक्त 0.17 बिस्वा आराजी संख्या 161/1 में से 0.04 बिस्वा भूमि सडक फोरलेन निर्माण हेतु अवाप्त की गई जिसका नियमानुसार मुआवजा भी प्रार्थी को प्राप्त हो गया व उक्त अवाप्ति के पश्चात् प्रार्थी के पास खाता संख्या 161/1 में से 0.13 बिस्वा size 45.72X38.50 भूमि गेमु पेट्रोल पम्प उपलब्ध रही, जिस पर प्रार्थी का पेट्रोल पम्प संचालित है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 (गुलाबपुरा से तख्तपुरा खण्ड) के 06 लेन निर्माण/चौडाकरण के लिये अतिरिक्त भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचना दिनांक 21.08.2017 को प्रकाशित की गई, जिसके उपरान्त विहित अधिनियम की धारा 3D(1) के तहत अधिसूचना जारी की गई जिसका प्रकाशन दिनांक 21.03.2018 को किया गया। उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत वर्णित अनुसार संतोकपुरा स्थित प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित जायदाद आराजी नम्बर 167/1 गे.मु. पेट्रोल पम्प कुल 0.13 बिस्वा में से सड़क निर्माण हेतु 0.0400 हेक्टर भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित था, जिसमें भूमि अवाप्ति अधिकारी के आदेश पर तहसीलदार द्वारा भूमि सत्यापन प्रतिवेदन तैयार किया गया जिसमें स्पष्ट रूप से खातेदार का

जिला कलक्टर
(आर्बीट्रेटर)
भीलवाड़ा